UPBS120001822023

**न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti**

**पीठासीन अधिकारी–** (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 137/2023

बुद्धू बनाम ग्राम पंचायत आदि

**20.03.2023**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि अक्षरान क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित आराजी सं० 362/2 (362ड़) रकबा 0.110 हे० के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10ग1 द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा 106 पंचायत राज अधिनियम कागज सं० 11ग1, नकल खतौनी 12ग1, नकल खसरा 13ग1, छायाप्रति आदेश चकबन्दी अधिकारी कागज सं० 15ग1 दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सरकार है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**आदेश**

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 03.04.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2**

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी करे। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी आख्या एवं मानचित्र में विवादित स्थल पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं करेंगे। अदालत अमीन अपनी आख्या दिनांक 03.04.2023 तक अवश्य प्रस्तुत करेंगे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2023.03.20 17:16:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court